Authorisation of Medical Shop for local purchase

4436. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have authorised one Medical shop in Rajender Nagar, New Delhi for local purchase of the medicines meant for CGHS beneficiaries;

(b) whether it is a fact that most of the medicines allowed for local purchase are readily not available with the above shop;

(c) whether it is also a fact that the above shop owner compels the beneficiaries to purchase substitute medicines in spite of clear instructions of 'no substitute, by the Doctors;

(d) if so, what remedial measures Government propose to take in this regard; and

(e) whether Government propose to cancel licence of the above shop?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D. K. THARA DEVI SIDDHARTHA): (a) Yes, Sir.

(b) to (c) No such complaint has been received in this regard from any CGHS beneficiary and the supply of Medicine has been satisfactory.

Hence, the question of cancellation of the licence of the said shop does not arise.

केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों में समय की पाबंदी का पालन किया जाना

4437. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अति विशिष्ट क्षेत्रों सहित दिल्ली की अधिकांश केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों में कार्यरत ज्यादातर स्टाफ और डॉक्टरों द्वारा समय की पाबंदी न किये जाने की समस्या अब भी बनी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) दिल्ली में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की किन-किन डिस्पेंसरियों में पिछले 13 महीनों के दौरान आकस्मिक जांच की गई और इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ;

(घ) क्या यह सच है कि छापा मारने वाले अधिकारी अपने सह-व्यवसायियों के खिलाफ मामले को रफा-दफा कर देते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या सख्त कार्यवाही करने का विचार करती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) इस योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों दोनों द्वारा सामान्य तौर पर समय की पाबंदी का अनुपालन किया जाता है। तथापि ऐसे उदाहरण हैं जहां कर्मचारी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के अव्यवस्थित होने के कारण समय पर ड्यूटी के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं।

(ग) यह सूचना विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए)

समय की पाबंदी को सुनिश्चित करने के लिए आंचलिक अपर निदेशकों द्वारा आकस्मिक दौरे करने के अतिरिक्त समय की पाबंदी के अनुपालन के लिए